

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

अधिसूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उड़ीसा) के संश्लेषित निर्देशक के पत्रांक ER:213:6(1)16/ERCAPO 349/5/वि.वि.सि. Addl-वि.वि.सि.सं. 2016-46318

दिनांक 02.05.16 के द्वारा स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिसूचना दिनांक 05.07.2017 को आहत बैठक के मद संख्या 65 पर पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित ~~अधिसूचना प्रस्ताव~~

~~प्रस्ताव~~ ~~वि.वि.सि.सं. 2016-46318~~ ~~और~~ ~~अधिसूचना~~ ~~दिनांक~~ ~~05.07.2017~~ से ~~200~~

सीटों के साथ नामांकन की स्वीकृति एन.सी.टी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है:

1. प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सम्मुख लिये गये सपथ-पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा उल्लेख होगा कि एन.सी.टी.ई./राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश/बन्धों (संलग्न : अनुसूचनाक - 1) का अनुपालन किया जा रहा है। इस संदर्भ में पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर अनुपालन करने की सुनिश्चिता का इंगित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा विश्वविद्यालय विधि-सम्मत कार्रवाई प्रवृत्त कर सकेगा।
2. एन.सी.टी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी अग्र्या संख्या एवं पैन संख्या अगिलेखित की जा चुकी है।
3. महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रदान करेगा।

अधिसूचना के द्वारा संबंधन की स्वीकृति औपबधिक होगी एवं उक्त संबंधन विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्धित प्रावधानों के अधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की वार्षिक वार्षिक प्रबंधकीय गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रहेगी, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा।

माननीय कुलपति महादय के आदेशानुसार

80/-

कुलसचिव


मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

दिनांक 25/08/17

जापानक 25/08/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थिति:-

1. सचिव/प्रधानाचार्य, ~~विश्वविद्यालय~~ ~~बोधगया~~ ~~और~~ ~~वि.वि.सि.सं. 2016-46318~~
2. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना 800001
5. प्रभारी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
6. विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजमवन, पटना।
7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।



कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

25.08.17



मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. न. 9000/16 पर पारित निर्देश एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में अतिरिक्त सीटों के साथ दी गयी मान्यता के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षक दल से सीट वृद्धि हेतु की गयी अनुशंसा पर संबंधन समिति की बैठक दिनांक 09.09.2016 के मद संख्या 10 पर पारित प्रस्ताव के आलोक में भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद ~~टीचर्स ट्रेनिंग~~ कॉलेज, दाउदनगर, औरंगाबाद में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2016-17 से अतिरिक्त 50 (पचास) कुल 150 (एक सौ पचास) नामांकन सीटों के साथ विश्वविद्यालय के अन्य संवैधानिक निकायों की स्वीकृति की प्रत्याशा में पूर्णतः औपबंधिक रूप से सीट वृद्धि की अनुमति दी जाती है।

अन्य संवैधानिक निकायों से अनुमति प्राप्ति के पश्चात् ही पूर्ण रूप से अनुमति संबंधी पत्र निर्गत किया जायेगा।

माननीय कुलपति महोदय के अदेशानुसार

ह०/-

कुलसचिव


मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

ज्ञापांक अ.प्र.अ. 506/16

दिनांक 6.12.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रधानाचार्य/सचिव, भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद ~~टीचर्स ट्रेनिंग~~ कॉलेज, दाउदनगर, औरंगाबाद।
2. संयोजक (कुलानुशासक), बी.एड./एम.एड., संयुक्त परीक्षा आयोजन समिति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. राहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
5. कुलपति/प्रतिकुलपति के निजी सचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
6. कुलसचिव के निजी राहायक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।


कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।


5.12.16

मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया

प्रेषक: -
सेवा में:

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया।

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण),
प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषय:- एक वर्षीय बी० एड०/ एम० एड० पाठ्यक्रम में नया सम्बन्धन/ दीर्घीकरण/ स्थायी सम्बन्धन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि मगध ५११५ दिनांक १५/१२/१२
 (५११५) के सम्बन्धन का मामला विश्वविद्यालय के सम्बन्धन समिति, विद्वत परिषद, अभिवद की
 बैठक द्वारा अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त अधिवद की बैठक दिनांक २६/०२/२०१२ द्वारा पारित हो
 जाने के पश्चात् निम्नलिखित विषयों/ शर्तों में आवश्यक शर्तों संलग्न के साथ सत्र २०११-१२ से सत्र
 २०१२-१३ तक के लिए नया सम्बन्धन/ सम्बन्धन को दीर्घीकरण/ स्थायी सम्बन्धन हेतु अनुशंसा
 प्रदान करने की कृपा की है।

सत्र २०११-१२ से २०१२-१३ तक
 १०० (एड एड) ग्रांटिशन
 (१०) ई लाय

सम्बन्धन का विषय
 १०० एड एड हेतु
 स्थायी सम्बन्धन हेतु

अतः अनुरोध है कि नया सम्बन्धन/ सम्बन्धन, दीर्घीकरण/ स्थायी सम्बन्धन सम्बन्धी इस अनुशंसा
 राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर यथाशीघ्र सूचित करने की कृपा की जाय। इस सम्बन्धन हेतु निरीक्षण
 प्रतिवेदन की एक प्रति नया सम्बन्धन के शर्तों के प्रति के बारे में इस महाविद्यालय से प्राप्त विवरण एवं
 संलग्नों की प्रति संलग्न की जा रही है।


अनु०. 1
2

विश्वासगाजन

—

कुलसचिव
 मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया।
 दिनांक 19/04/2012

- क्रमांक २२२३/६५१३
- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित:-
1. सचिव/ प्राचार्य २२२३/६५१३ दिनांक १५/१२/१२
 2. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया।
 3. प्रशाखा पदाधिकारी, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया।
 4. विशेष कार्य पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।


 कुलसचिव
 मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया
 19/4/12